(भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 33 / 2015–2020
दिनांकः 13 सितम्बर, 2019

विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा अनुलग्नक–I में यथा उल्लिखित प्रक्रिया पुस्तक (2015–2020) के विभिन्न व्यापार समझौते (पैरा 2.107) के तहत प्रशुल्क दर कोटा के अंतर्गत विभिन्न मदों के आयात की प्रक्रिया निर्धारित करने वाले परिशिष्ट 2क के अनुलग्नक I में संशोधन करते हैं

2. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः** परिशिष्ट 2क के अनुलग्नक I को संशोधित किया जाता है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः **dgft@nic.in**

(फाइल सं. 01/89/180/विविध–52/एएम–06/पीसी–2(क)/ई–1857/पी–12934 से जारी)

<u>अनुलग्नक– I</u>

प्रक्रिया पुस्तक (2015–2020) के पैरा 2.107 में यथा उल्लिखित मदों के आयात की प्रक्रिया

क्र.सं.	आईटीसी (एचएस) कोड	वस्तुओं का विवरण	देश	कुल सकल मात्रा जो वर्ष 2015–16 के दौरान आयात हेतु उपलब्ध है।
1.	1516,1517 अथवा 1518 (15161000, 15171010, 15179030 और 15180040 को छोड़कर जो आयात हेतु निषिद्ध हैं।)	वनस्पति, बेकरी शार्टनिंग और मार्जरीन	श्रीलंका	250,000 मी. टन
2.	0904	काली मिर्च	श्रीलंका	2500 मी. टन
3.	080111 00	सूखा नारियल	श्रीलंका	500 मी. टन
4.	150710 00	पराग्वे से कच्चा सोया तेल	पराग्वे	30,000 मी. टन

मदों की आयात प्रक्रिया को निम्नलिखित व्यवस्था/प्रक्रिया के अधीन अनुमति दी जाएगीः–

(क) आयात भारत–मर्कोसुर व्यापार समझौते से संबंधित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 29/2007–सीमा शुल्क विभाग दिनांक 30 मई, 2009 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अधीन होगा।

(ख) सभी आवेदन पराग्वे में कच्चे सोया तेल के किसी पात्र निर्यातक के साथ किए गए पूर्व बिक्री समझौते के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। पूर्व बिक्री समझौते में मात्रा और संविदा को पूरा करने की अवधि अवश्य इंगित होनी चाहिए। पराग्वे से मद की पात्र निर्यातक कंपनियों की सूची का निर्धारण पराग्वे सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ग) आयात खेप की निकासी के समय भारत के आयातक को एक उदगम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो पराग्वे में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया हो।

(घ) इन आयातों के मामले में वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि अर्थात भारत में वित्तीय वर्ष होगा।

(ङ.) आयात प्राधिकार–पत्र मंजूर करने हेतु सभी आवेदनों को केवल ई–मेल द्वारा import-dgft@nic.in पर नीचे दिए गए निर्धारित प्रारूप में भेजा जाएगा :–

क्र.सं.	आवेदक का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता	आईईसी संख्या	आयात की जाने वाली मद	आईटीसी (एचएस) कोड	मात्रा जिसके लिए आवेदन किया गया हो (मी. टन)	सीआईएफ मूल्य (रु.) और शुल्क	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	क्षेत्रीय प्राधिकारी का नाम जिसके माध्यम से लाइसेंस प्राप्त किया जाएगा

(च) आबंटन आवेदित मात्रा के अधीन पात्र आवदेकों में बराबर रुप से किया जाएगा। एएनएफ 2ड और एएनएफ 1 में आवेदन अपेक्षित शुल्क के साथ व्यापार सूचना सं. 49 दिनांक 15.03.2019 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। आवेदन वित्तीय वर्ष की 28 फरवरी तक भेजा जाना चाहिए।